कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।
पत्रांकः11/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-17(सहा0)/ 253. दिनांकः जून 29 2017.
सेवा मे,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
मैसर्स सरस्वती बाल मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल,
केशवनगर, मोदीनगर रोड हापुड,
जनपद-हापुड।

विषयः मैसर्स सरस्वती बाल मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, द्वारा केशवनगर, मोदीनगर रोड हापुड जनपद हापुड में संचालित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः यूआईडीः2017/31455/एचएपीयू/हापुड/384/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी हापुड से किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हापुड श्री जीतपाल सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 28-06-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी हापुड श्री अनिमेष सिंह को प्रेषित की गई जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 28-06-2017 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-
1-कुल प्लाट एरिया-4596.00 वर्ग मी0।
2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-2261.45 वर्ग मी0।
3-निर्मित प्रथम एवं द्वितीय तल कवर्ड एरिया-1667.92 वर्ग मी0 प्रत्येक।
4-भवन की ऊँचाई-10.14 मीटर।

भवन का अधिभोगः-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2016 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐंः-
1-पहुँच मार्ग- प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।
2-प्रवेश द्वारः-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई 05.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।
3-सैटबेक- प्रश्नगत भवन को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन के सेक्शन ऑफिसर (एफेलेटिड) दिल्ली के पत्र संख्याःसी0बी0एस0सी/एफेलेटिड/21473/98/8054 दिनांकः 28-08-1998 के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार प्रश्नगत भवन वर्ष-2005 से पूर्व का निर्मित होने के कारण जनहित याचिका संख्याः 483/2004 मे निर्गत निर्देशों के अनुसार निकास मार्ग, सैटबेक एवं पहुँच मार्गो की छूट का प्राविधान है। तथा उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें।
4-निकास मार्गः- प्रश्नगत भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल हेतु 04 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.20 मी0 प्रत्येक नर्मित है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। तथा भवन पूर्व मान्यता प्राप्त है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- प्रश्नगत भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्निशमन व्यवस्थाऐं स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत हैः-
1-होजरीलः-प्रश्नगत भवन में होजरील आई0एस0-3844 मानक के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।
2-टेरिस टैंकः- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 5,000-5,000 हजार लीटर क्षमता के 03 अदद कार्यशील दशा मे स्थापित है।
3-टेरिस पम्पः- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 450-450 एल0पी0एम0 क्षमता के 03 अदद कार्यशील दशा मे स्थापित है।
4-डाउनकमर सिस्टमः-प्रश्नगत भवन मे डाउनकामर सिस्टम आई0एस0-3844-1993 मानकों के अनुसार स्थापित है।
5-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी हापुड एवं प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हापुड की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सरस्वती बाल मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, द्वारा केशवनगर, मोदीनगर रोड हापुड जनपद

(... शर्मा)
निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

Attested

(SUNIL KUMAR SHARMA)
Principal
Saraswati Bal Mandir
Sr. Sec. School, HAPUR
Distt.-HAPUR

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

हापुड़ मे निर्मित एजुकेशनल भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1-भवन प्रबन्धक भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जाये।

2-भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3-भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4-भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5-प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियो को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्युशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान कराई जाए।

6-विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7-विद्यालय के ऐसे कक्ष जिनमे 01 दरवाजा है उनमे 45 से अधिक छात्र छात्रायें न बैठायें जायें।

8-वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9-भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

10-उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ/[illegible]

प्रतिलिपिः 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी हापुड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। तथा इस निर्देश के साथ की विलम्बतः 24 घण्टे मे फायर सर्विस की वैबसाइट पर,अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हापुड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद हापुड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Attested

(SUNIL KUMAR SHARMA)
Principal
Saraswati Bal Mandir
Sr. Sec. School, HAPUR
Distt.-HAPUR

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner